[Secretary]

Parliamentary Committers shall apply with such variations and' modifications as the SpeaKer may make: and

that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 11 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

IBE BIHAR STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL. 1968—contd.

श्री सूरज प्रसाद : मैं यह कह रहा था कि उस समय राष्ट्रपति के शासन के पहले जो वहां की हुकूमत थी उस हुकूमत ने कुछ नये कानून बनाने के संबंध में कुछ कदम उठाये थे, लेकिन इसी बीच वह हुकूमत खत्म हो गयी और इस लिये वह कानून अमल में नहीं लाये जा सके ।

पहली बात उस संबंध में आदिवासियों की थी और आज आपको मालूम है कि आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और इस के चलते आदिवासियों में काफी तनाव है । काफी उन में असंतोष है और इस चीज को ले कर तरह तरह की बातें उन के बीच में उठ रही हैं । वहां पर जो सूदखोर महाजन हैं, जो मनीलेंडर्स हैं वह उन को कर्ज देते हैं । और उसके बदले वे उन की जमानें ले लिया करते हैं, यद्यपि कानूनन उनको यह हक प्राप्त नहीं है । मैं इस संबंध में संविधान के शेड्यूल 5 को आप के सामने रखना चाहता हूं जिस में यह बात कही गयी है कि आदिवासियों की जमीन के संबंध में राष्ट्रपति चाहें तो गवर्नर या राष्ट्रपति चाहें तो इस तरह के कामों को कर सकते हैं जिस से उन की जमीनें छीनी जाने से बच सकती हैं या ऐसे कानून जो बने हुए हैं, जो पार्लियामेंट के कानून हैं या बिहार असेम्बली के कानून हैं उन का वहां लागू होने से रोका जा सकता है । इस लिये मैं चाहूंगा कि शेड्यूल 5 को देखा जाय जिस में इस तरह की बातें आदिवासियों के संबंध में कही गयी हैं । अगर इस धारा को वहां लागू किया जाय और ऐसे कानून जिन के चलते उन की जमीन छीनी जा रही हैं खास कर लिमिटेशन ऐक्ट के जरिये अगर उस को वहां लागू होने से रोका जा सके तो आदिवासियों में जो घोर बेचैनी है उस बेचैनी को दूर किया जा सकता है और आदिवासियों के असंतोष को बहुत हद तक दूर करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है ।

इस संबंध में एक दूसरे सर्कुलर की ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो बिहार के अंदर 1965 में वहां की हुकूमत के द्वारा लागू किया गया था । यह सर्कुलर इस के लिये है कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं अगर वह अपनी जमीन बेचना चाहते हैं तो उस के संबंध में मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस की तरफ से कुछ डाइरेक्शन बिहार सरकार को गये थे और बिहार की हुकूमत ने उस संबंध में एक सर्कुलर निकाल कर तमाम जिला के अधिकारियों को यह कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी नेशनल पहुंचे तो उस संबंध में उन्हें खबर मिलनी चाहिये कि वह जमीन बेचना चाहते हैं या नहीं । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी नेशनल आय तो उस की खबर सब-रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिये कि अमुक तरह का पाकिस्तानी नेशनल आया हुआ है जो अपनी जमीन बेचना चाहता है । लेकिन उस सर्कुलर में दूसरी बात कही गयी हैं । उस में है कि :

"The registering officer should not wholly depend on the communication from the police ;is the possibility of oversight by the police or postal nondelivery of information cannot be ruled out. As a measure of extra precaution, whenever there is any sale of immovable property by a Muslim, the registering officer should bring the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 to the notice of both the buyer and the seller. A notice to this effect should also be exhibited on the office notice board."

तो इस संबंध में मेरा कहना यह है कि यह कहा गया था कि जो पाकिस्तानी नेशनल हैं उन के संबंध में यह आदेश गया था, लेकिन जो बिहार सरकार का सर्कुलर है वह अब इस तरह का हो गया है कि तमाम मुसलमान जो हिन्दुस्तान में बसने वाले हैं, जो बिहार और हिन्दुस्तान के नागरिक है, उन पर भी इस तरह की पाबन्दी लगा दी गयी है कि अगर वह अपनी जमीन बेचना चाहते हैं तो उन का नाम नोटिस बोर्ड पर टांग दिया जाय ताकि बायर को इस बारे में जानकारी हो सके। मैं समझता हूं कि यह संविधान की धाराओं के प्रतिकूल है। इस में डिस्क्रिमिनेशन है। अगर कोई हिन्दू अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उस पर इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन बिहार का कोई मुसलमान, जो हिन्दुस्तान का नागरिक है, उस के ऊपर इस प्रकार का प्रतिबन्ध होना बिलकुल गलत है।

इसी संबंध में जो लेजिस्लेशन बिहार के अंदर सोचा गया था उस की तरफ भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक दूसरा सवाल वहां था। वह यह था कि बिहार में बहुतेरे किसान ऐसे हैं जिन की अपनी जमीन नहीं है। जो दूसरों की जमीन जोतते हैं, उन को बटाई का वहां हक है और बिहार का जो टेनेन्सी लेजिस्लेशन है उस के अंदर यह कहा गया है कि कोई भी किसान जो बटाईदार है, अगर बारह वर्षों तक किसी की जमीन को जोतता चला आता हो तो उस को उस जमीन पर आकुमेंसी राइट मिल जाता है। लेकिन वह धारा अभी भी लागू नहीं है। वहां पर अभी भी बड़े पैमाने पर बटाईदार जमीनों पर से बेदखल हो रहे हैं और बेदखल किये जा रहे हैं। नतीजा यह है कि जमीन की जो पैदावार बढ़नी चाहिये वह नहीं बढ़ पाती है और जमीन कुछ लोगों के हाथों में सिमटती जाती है। हमारे यहां बड़े बड़े जमींदार हैं जिन के पास 32 हजार और 40 हजार बीघा जमीन है और वह अपने बटाईदारों को जमीनों पर से बेदखल करते जा रहे हैं। तो इस संबंध में भी बिहार की जो गत हुकमत थी उस हुकूमत ने एक लेजिस्लेशन वहां लाया था जिस में यह कहा गया था कि कुछ लोगों को छांट कर के शेष लोग जो बटाईदार हैं उन को उस जमीन पर हक मिलना चाहिये और उन के हकों की हिफाजत होनी चाहिये। इस लिये मैं चाहूंगा कि जब कभी भी कोई लेजिस्लेशन लाने का विचार हो तो बटाईदारों की जमीन की हिफाजत करने के लिये जो बिहार के लेजिस्लेचर ने, गत हुकूमत ने कानून का मसविदा तैयार किया था उस पर भी विचार होना चाहिये।

तीसरा कानून जिस पर विचार किया गया था वह यह है कि बिहार के अंदर यह बात सोची गयी थी कि किसानों पर लगान का बोझ बहुत अधिक है इस लिये यह सोचा गया था कि जो अलाभकर जोत वाले किसान हैं उन को लगान से मुक्त कर दिया जाना चाहिये। जो तमाम संविद की पार्टियां थीं उन की एक राय थी कि साढ़े छः एकड़ तक जो जमीन रखने वाले हैं वह अलाभकर जोत वाले किसानों की श्रेणी में आते हैं और जिन के पास इतनी तक जमीन है उन्हें लगान से मुक्त कर देना चाहिये। इस से ज्यादा जिन के पास जमीन है उन पर लगान लगना चाहिये और उस का नाम लैंड टैक्स होना चाहिये और वह प्रोग्रेसिव लैंड टैक्स होना चाहिये। जैसे जैसे जमीन बढ़ती जाय, लैंड टैक्स बढ़ते जाना चाहिये इस लिए मैं चाहूंगा कि इस लेजिस्लेशन को भी लाना चाहिये उस समय जब कि इस सवाल पर बिहार के संबंध में कोई लेजिस्लेशन लाने की बात हो।

एक चौथी बात लेजिस्लेशन के संबंध में बिहार सरकार के अंदर विचाराधीन थी। उसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप को मालूम है और पूरे सदन को मालूम है कि बिहार के अंदर तमाम जमींदारी उठा दी गयी, लेकिन ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है कि अभी भी टाटा की जमींदारी बरकरार है, स्थिर है। मालूम होता है कि टाटा शिव जी के त्रिशूल पर बसा है कि उस की जमींदारी कभी भी नहीं

[श्री सूरज प्रसाद]

जायगी । बिहार में संविद की पहली और दूसरी हुकूमत जो थी उसने सोचा था कि टाटा की जमींदारी एक नापाक चीज है । वह तमाम बिहार की जमीन पर एक कलंक के समान है इसलिये उस को जाना चाहिये । इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि टाटा की जमींदारी को तोड़ने के संबंध में कोई कानून यहां आना चाहिये ताकि टाटा जमींदारी को भी उठाया जा सके ।

इस के साथ ही, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासियों के संबंध में जब चर्चा कर रहा था तो एक बात कहना भूल गया था । उन के संबंध में भी एक हुकूमत ने पेश किया था, उन के हकों की हिफाजत के लिये, उन की जमीन जो सूदखोर महाजन ले लेते हैं उस को रिस्टोर करने के लिये एक कानून पेश हुआ था । इस तरह के जितने कानून वहां पेश हुए थे उन तमाम चीजों के बारे में यहां कानून आने चाहिये ताकि बिहार की जनता के जो मंसूबे हैं उन की पूर्ति की जा सकें, क्योंकि बिहार में अब कोई लेजिस्लेचर है नहीं और जो कानून हम को पास करना होगा वह यहीं से पास होगा । इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चाहे टाटा की जमींदारी उठाने का सवाल हो, चाहे लगान उठाने का सवाल हो, चाहे आदिवासियों का सवाल हो इन सब के लिये अलग अलग कानून पास होने चाहिये ताकि बिहार की जनता की जो आकांक्षा है, बिहार की जनता की जो इच्छा वह पूरी हो सके ।

इस सम्बन्ध में मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं और वह यह है कि बिहार के गवर्नर ने एक साल पहले एक आर्डिनेंस जारी किया था । उस आर्डिनेंस के मुताबिक पटना युनिवर्सिटी में उन्होंने एक कमेटी बहाल कर दी थी जो कि शिक्षा दीक्षा के मामले में पूरा कंट्रोल करती है। वह कमेटी ऐसे ऐसे काम करती है जो उसे नहीं करने चाहिये । उस कमेटी के सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि श्री बलभद्र प्रसाद, वाइस चांसलर, जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी में रह चुके हैं, उन्होंने इस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि उस कमेटी को वहां रखने की कोई जरूरत नहीं है । उस कमेटी में कोई शिक्षाविद् नहीं है, कोई जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, कोई लिखेपढ़े आदमी नहीं हैं । उस कमेटी में कुछ ऐसे नौकरशाह भर गये हैं जिन को जनता की इच्छा की कोई परवाह नहीं है । बिहार की गत हुकूमत ने यह फैसला किया था कि बिहार में शिक्षा का माध्यम क्या होगा । उसने मोटे तौर पर यह तय कर लिया था कि हिन्दी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे । लेकिन यह कमेटी धीरे धीरे यह प्रयास कर रही है कि शिक्षा का माध्यम हिन्दी न हो कर अंग्रेजी हो । मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब यहां पार्लियामेंट है और कुछ ही दिनों के अन्दर जब यहां पार्लियामेंट बैठने वाली थी तो बिहार के गवर्नर का क्या अधिकार था, क्या जरूरत थी कि वे इस तरीके का आर्डिनेंस जारी करते और शिक्षा के क्षेत्र में नाजायज हस्तक्षेप करते । इसलिये मैं कहूंगा कि इस तरह के जो आर्डिनस बन गये हैं उनके लिये तुरन्त यहां से कोई आदेश जाना चाहिये या कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिस से वे आर्डिनेंस लागू न हो सकें ।

अब मैं एक सवाल को और रिफर करना चाहूंगा जिस पर श्री झाजी भी बोले थे और वह सरकारी कर्मचारियों का मामला है । मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों की मांग बिल्कुल ही उचित थी, जायज थी और उनकी हड़ताल भी जायज थी । अगर सरकार चाहती तो उनकी हड़ताल न भी होती । उनकी मांग यह थी कि हम को कुछ समय मिलना चाहिय, हम को यह बताया जाना चाहिये कि कितने समय के अन्दर सरकार हमारी मांगों पर विचार करेगी । लेकिन गवर्नर साहब उनको कोई समय नहीं दे सके और वह हड़ताल हुई । हड़ताल के अन्दर जो उनपर ज्यादती की गई रांची वगरह में उसकी जानकारी पूरी तरह से हाउस को है । लोक सभा में इसपर सवाल भी उठा था कि उनपर ज्यादती की गई । इस लिये

मैं कहना चाहता हूं कि उनको जो तनख्वाह नहीं मिल रही है और जो उनके विरुद्ध तरह तरह के दमनात्मक कदम उठाये जा रहे हैं वे नहीं उठाये जाने चाहिये । सरकार के कहने के मुताबिक अब वह हड़ताल वापस ले ली गई है तो उन्हें समय देना चाहिये और सरकार को दमनात्मक कदम नहीं उठाना चाहिये ।

इसी सम्बन्ध में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा । बाढ़ के सम्बन्ध में कल यहां बातचीत हुई थी, लेकिन बिहार में बाढ़ की जो अखबारों में खबरें आ रही हैं वे बड़ी भयंकर खबरें हैं । गंडक, कोसी, भुतही बालान इन तमाम नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई है और काफी जमीन बाढ़ से प्रभावित है और वहां काफी लोग परेशान हैं । मुझे अखबारों में यह देखने को मिला कि सिर्फ मुंगेर में एक जगह खगरिया में एक हजार एकड़ जमीन ऐसी है जो कि बिल्कुल पानी में जलप्लावित है । वहां के कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इस तरह का ब्यान अखबारों में दिया है कि वहां सरकार की तरफ से कोई खास कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई खास बात नहीं हो रही है । इसलिये सरकार को चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में ऐसे कदम उठाये जिस से वहां के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको राहत मिल सके । यह सिर्फ मुंगेर का ही प्रश्न नहीं है । इसी तरह से छपरा का प्रश्न है । इसी तरह से चम्पारन का प्रश्न है । इसी तरह से सहरसा और शाहाबाद के क्षेत्रों का प्रश्न है । आज फिर अखबार में यह खबर आई है कि गंगा का पानी पुनः बढ़ता जा रहा है । इस से पटना बाढ़ की चपेट में आ सकता है । शाहबाद बाढ़ की चपेट में आ सकता है भागलपुर का इलाका चपट में आ सकता है । इसलिये बाढ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिये सरकार की तरफ से जल्दी से जल्दी कारगर कदक उठाया जाना चाशिये ताकि वहां की जो पीड़ित मानवता है उसको सहायता मिब सके ।

SHRI SUNDAR MANI PATEL (Orissa) : Mr. Vice-Chairman, this Bihar State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1968, is a procedural matter and I have nothing to say about the constitutional aspect. Taking advantage of this discussion, I would like to speak something pertaining to Bihar. Bihar is a State which is bestowed with a lot of minerals, forests, fertile lands and also ever-flowing rivers. Besides these natural resources, Bihar got a substantial portion of the Central grants for its improvement. Even then, it is strange that it has not been able to control the floods and the droughts. Over and above this, it has become a perpetual victim of communalism and casteism. These are the bottlenecks to overcome; and so I think Bihar wanted such a Government as the present one for some time because for the last 20 years of Congress rule it has not been able to improve anything except casteism. This casteism has penetrated into every shpere of administration in the State and it is the root cause of the downfall of Bihar. Bihar is one of those backward States in the country which has got the lowest percentage in education and per capita income. So, these are the factors that should be taken into consideration now and the present Central Administration which is there should take special care to eradicate this casteism which is breeding miseries of all kinds.

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : श्रीमन् उपसभाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बिहार की समस्याओं के बारे में यहां चर्चा की । जैसा कि मैंने अपने शुरू के भाषण में कहा था कि यद्यपि यह राष्ट्रपति का शासन अस्थायी रूप से बिहार में लागू है तो भी इस शासन के समय हम लोग कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जिन से बिहार को स्थायी रूप से फायदा हो सके । यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि राष्ट्रपति शासन के समय हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिस से आने वाली लोकप्रिय सरकार के ऊपर कोई बहुत भारी वित्तीय भार पड़ जाय । इस तरह के कमिटमेंट्स यदि हम इस समय कर

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

तो आगे चल कर के उसमें वहां की सरकार को कठिनाई हो सकती है। इस प्रकार का कोई वित्तीय भार न बढ़े इसको छोड़ कर बाकी बहुत से जो कार्य जनहित के करने हैं उन सब को करने के लिये हम लोग कटिबद्ध हैं।

यादव जी ने अपने भाषण के दौरान बहुत सी बातें कहीं। मैं उनसे सहमत हूं कि इतनी बड़ी प्राकृतिक सम्पदा होने के बावजूद भी बिहार में इतनी गरीबी है। इस बात को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। किस तरहसे इसको दूर किया जा सकता है इसके बारे में भी सब लोगों को सोच विचार कर कार्यवाही करनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन के जो कुछ महीने हैं उनमें इन सब चीजों के ऊपर बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। तो भी यह बात बिल्कुल ठीक ही है कि यदि वहां के प्राकृतिक साधनों को उचित रूप से उपयोग में लाया जाय तो वहां की जनता की गरीबी बहुत हद तक दूर हो सकती है और बिहार का बहुत कुछ फायदा हो सकता है।

यादव जी ने और भी बहुत सी समस्याओं, खास कर सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं के ऊपर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उसके सम्बन्ध में जो कुछ हम लोगों से हो सकेगा वह करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्रीमान झा जो उनके बाद बोले उन्होंने कुछ और समस्याओं के बारे में कहा। उन्होंने एक खास प्रश्न मुझसे पूछा। जो बिल में प्रावधान किया गया है वह यह है कि जो कानून बनाए जायें उनके बारे में यह कमेटी राष्ट्रपति जी को परामर्श देगी कि किस तरह के कानून बनाए जायं, परन्तु विशेष परिस्थितियों में इस कमेटी के बिना परामर्श के भी कानून बनाए जा सकते हैं। यह प्रावधान जो बिल में किया गया है वह इसलिए किया गया है अगर कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाय जिसमें शार्ट नोटिस पर इस कमेटी की मीटिंग न बुलाई जा सके, लेकिन कानून पास करना आवश्यक हो तो इसको उपयोग में लाया जायगा। जहां तक होता है इस तरह का काम नहीं किया जाता। शार्ट नोटिस पर भी इस कमेटी को बुलाने का प्रयत्न करते हैं और बुला कर कमेटी के परामर्श के बाद ही इस तरह के निर्णय को पास करते हैं वैसे जो कमेटी इस विधेयक के द्वारा बनाई जायगी उसका काम कानूनों में सलाह देने का रहेगा, परन्तु हम लोगों ने यह परम्परा शुरू कर दी है कि इन कमेटियों में कानून के सिवाय और दूसरी बातों में भी हम विचार-विमर्श करते हैं, जो जनता की समस्याएं है या जो समस्याएं माननीय सदस्य इस कमेटी में लाना चाहते हैं उन पर भी विचार-विमर्श कर लेते हैं। इस कारण जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को इस बात का मौका मिलता है कि वे बहुत सी ऐसी बातें केन्द्रीय शासन के ध्यान में और राज्य शासन के ध्यान में ला सकें जिससे जनहित हो सके।

सूरज प्रसाद जी ने जो खास बात कही वह गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की हड़ताल के सम्बन्ध में थी। जहां तक हम लोगों के पास सूचना है उससे ऐसा लगता है कि बहुत सुविधाएं इन लोगों को दी गई है जो हड़ताल पर गए थे, परन्तु उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सम्बन्ध में तरह तरह के आरोप हैं, किसी के ऊपर हिंसा का आरोप है, किन्हीं के ऊपर कोई आरोप है जिनके कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की आवश्यकता हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि ये सब आरोप सत्य होंगे या गलत आरोप नहीं लगाए गए होंगे। ऐसे भी कुछ दृष्टान्त होंगे जहां विक्टिमाइज किया गया हो। मैं यह नहीं कहता कि य सब आरोप सत्य होंगे, आरोप गलत भी तो हो सकते हैं। जब तक इन चीजों की जानकारी पूरी न हो जाय, जो देखभाल हो रही है वह पूरी न हो जाय तब तक यह कहना मुश्किल होगा कि किसके ऊपर लगे आरोप सही हैं। इसके बारे में आपने जो ध्यान आकृष्ट किया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। इसके बारे में हम लोग और देखभाल करेंगे और इस बात को करने की कोशिश

करेंगे कि विकिटमाइजेशन गलत ढंग से या बेकार न हो।

आदिवासियों की समस्याओं की तरफ आपने ध्यान दिलाया। जो आदिवासियों की समस्या आपने कही वह तो करीब करीब सभी क्षेत्रों के लिए लागू होती है। यह समस्या तो इतनी पुरानी है कि इसके हल होने में कुछ समय लगेगा। इसके लिए मैं नहीं समझता कि क्या हम लोग राष्ट्रपति शासन के समय में कमी कर रहे है।

श्री सूरज प्रसाद : जो पांचवां शेड्यूल है संविधान का उसमें जो प्रेसिडेन्ट को पावर दी गई है कि कुछ कानून आदिवासियों पर नहीं लगाए जाते, उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है गवर्नर या प्रेसिडेन्ट। वह करने में क्या दिक्कत है? मनीलेंडर बहुत परेशान करते हैं...

श्री विद्या चरण शुक्ल : इसके बारे में हम जरूर ध्यान देंगे। इसी तरह से पाकिस्तानी, मुसलमान भाइयों, आकूपेन्सी राइट्स, 6 एकड़ तक पर लगान की माफी आदि की जो बातें कहीं उनके बारे में भी अवश्य ध्यान देंगे।

एक खास बात जो मैं कहना चाहता हूं वह बाढ़ की स्थिति के बारे में है। यह सचमुच दुख की बात है कि बिहार के कई हिस्सों में काफी बाढ़ आई हैं और उसके कारण वहां के लोगों को बहुत तकलीफ भुगतनी पड़ रही है। बाढ़-पीड़ित लोगों की राहत के लिए एकदम से कार्य-वाही शुरू कर दी गई है। हमें इसकी पूरी सूचना नहीं मिली है कि वहां किस तरह से काम चल रहा है, लेकिन मैं इस बात का आश्वासन माननीय सदस्य को देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में स्थानीय सरकार, स्थानीय गवर्नमेंट ने काफी तेजी से कदम उठाए हैं। आपने जो यह प्रश्न उठाया उसके बारे में फिर मैं एक बार और जांच-पड़ताल कर लूंगा। महोदय, मैं समझता हूं कि जो भी प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाए थे उनका मैंने जवाब दे दिया है। मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा कि सदन इस विधेयक को पारित करे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : श्रीमान, मैं कुछ स्पष्टीकरण सरकार से चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने, जो यह समिति बनेगी 40 लोकसभा के सदस्यों की और 20 राज्यसभा के सदस्यों की, उसके बारे में एक बात से अवगत कराया कि वह कानून बनाने में सलाह देगी। इस सम्बन्ध में दो तीन बातें अगर सरकार चाहे तो और स्पष्ट कर सकती है (1) यह कमेटी कब तक गठित की जायगी (2) इस कमेटी के क्या कानूनी अधिकार होंगे (3) उसके विचारों का राष्ट्रपति कहां तक आदर करेंगे (4) समिति की बैठक का समय 15 दिन में, महीने में या दो महीने में कब निश्चित किया जायगा जिससे उस समिति का सचमुच में लाभ बिहार प्रदेश को मिल सके। बिहार प्रदेश में कितने ऐसे आवश्यक कानून या अध्यादेश हैं जिनको सरकार निकट भविष्य में निकालना चाहती है। अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में सरकार ने विकिटमाइजशन के बारे में कहा। सरकार को उनकी मांगों के बारे में भी कुछ क्लेरीफिकेशन देना चाहिए कि उनकी मांगें कैसी हैं और कहां तक इस राष्ट्रपति शासन में उनकी मांगों पर विचार करके उनकी पूर्ति की जा सकती है। अभी बाढ़ का जिक्र हुआ। क्या सरकार को पता है कि बाढ़ से सिर्फ फसल ही बर्बाद नहीं हुई है। बल्कि अभी कांकरिया घाट पर नाव के डूब जाने से 50 व्यक्ति मरे है? ऐसी अनेक घटनाएं वहां नित्यप्रति हो रही हैं, जिस पर सरकार का तत्क्षण ध्यान जाना चाहिए। उसके लिए सरकार कुछ प्रबन्ध नहीं कर रही है। क्या इन बातों की ओर ध्यान देकर सरकार कुछ अपना विचार स्पष्ट करेगी।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, जो समिति बन रही है केवल परामर्श देने वाली समिति है और इसको कोई अधिकार नहीं है। न इसमें वोटिंग होती

[श्री विद्या चरण शुक्ला]

है, न इसका उस तरह से काम है जैसा विधान सभाओं का होता है, इसका केवल राष्ट्रपति जी को परामर्श देने का काम है। इस समिति की मीटिंग का कोई समय निर्धारित नहीं होता, जब जैसी आवश्यकता पड़े, वैसे मीटिंग बुला ली जाती है। जल्दी आवश्यकता पड़े तो जल्दी बुलाई जा सकती है, अगर इसकी आवश्यकता बहुत दिनों तक न पड़े तो नहीं बुलाई जाती। कमेटी के हरएक सदस्य का यह अधिकार है कि केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करे कि इस कमेटी की मीटिंग बुलानी आवश्यक है और फलां फलां कारण हैं जिनके कारण इसका बुलाना आवश्यक है। इस तरह से कमेटी के बुलाने की जरूरत समय से पहले हो तो बुलाई जा सकती है, उसके बारे में विचार किया जा सकता है।

जहां तक बाढ़ के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, उन सब बातों की तरफ हमारा ध्यान है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That the Bill -to confer on the President the power of the Legislature of the State of Bihar to make laws be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : We shall now take up the clause by clause for consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I move:

"That the Bill be passed." 3 P.M.

श्री रेवती कांत सिंह (बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के तीसरे वाचन पर यहाँ बोलना नहीं चाहता था लेकिन सिर्फ एक बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाने के लि बोलने खड़ा हुआ हूं और वह यह है कि मंत्री महोदय ने कहा कि बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी वह हड़ताल वापस हो गई है और सरकार की ओर से यह देखा जायगा कि उनका अननेसेसरि विक्टिमाइजेशन न हो। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार की ओर से अभी पिछली 12 तारीख को, दो रोज पहले, जो आदेश हड़ताली कर्मचारियों के बारे में निकला है वह कुछ इस ढंग का है कि उनसे न चाहते हुये भी अननेसेसरी विक्टीमाइजेशन होगा। उसके दो, तीन, चार, पांच मुख्य मुद्दे जो हैं उनको मैं सिर्फ पढ़ कर सुना देना चाहता हूं।

पहला मुद्दा है कि जो लोग हड़ताल पर गये और पूरे पंद्रह दिनों तक हड़ताल पर रहे वे अगर 31 अगस्त तक दरख्वास्त देते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा आर्डिनरी लीव विदाउट पे दी जायं तब उन्हें यह छुट्टी दे दी जायेगी और उस पीरियड को एक्सट्राआर्डिनरी लीव में ट्रीट किया जायगा और यदि वे ऐसी दरख्वास्त नहीं देते हैं तो वह पंद्रह दिन का समय उनकी नौकरी में ब्रेक समझा जायगा, नौकरी में गैप समझा जायगा।

दूसरा यह है कि अगर कोई उस पंद्रह दिन में कुछ दिन अटेंड किया है और कुछ दिन हड़ताल पर रहे हैं तो जितने दिन वे हड़ताल पर रहे हैं वह उनकी बाकी छुट्टी में काटा जायगा और यदि कोई छुट्टी बाकी नहीं है तो उनको 31 अगस्त तक दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि हमें एक्सट्राऑर्डिनरी लीव मिले।

मैं कहना चाहता हूं कि एक्सट्राऑर्डिनरी लीव देने का नतीजा यह होगा कि उन्हें 15 दिनों का वेतन तो मिलेगा नहीं और साथ साथ उनकी पेंशन और ग्रेचुएटी पर भी उसका असर पड़ेगा और इस तरह से यह घुमा फिरा कर विक्टीमाइजेशन ही कहा जायगा।

अब, जो टेम्पोरेरी कर्मचारी हैं उनके बारे में कहा गया है कि वे हड़ताल की अवधि के लिये एक्सट्राऑर्डिनरी लीव की दरख्वास्त दे और जब दरख्वास्त देंगे तो उन्हें एक्सट्राऑर्डिनरी लीव देंगे लेकिन जिन लोगों को डिसचार्ज कर दिया गया था उनको उसके बाद रिइंस्टेट करेंगे तो उनकी सर्विस नये सिरे से मानी जायगी और पुरानी सर्विस के साथ कांटिन्यु नहीं होगी और अगर एक्सट्राऑर्डिनरी लीव की दरख्वास्त नहीं देते हैं तो उनको रिइंस्टेट नहीं करेंगे। इस तरह उनका दुहरा विक्टीमाइजेशन होता है, एक तो एक्सट्राऑर्डिनरी लीव बिना वेतन के लेनी पड़ेगी और दूसरे उनकी पहले की सारी सर्विस खत्म हो जायगी। मैं आपको इत्तिला करना चाहता हूं कि बिहार सरकार के ऐसे बहुत से टेम्पोरेरी मुलाजिम हैं, कम नहीं हैं, अधिक संख्या में हैं, हजारों की संख्या में है जिनकी सर्विस 15 वर्ष तक की हो चुकी है।

फिर, हमको सब से ज्यादा आश्चर्य यह हुआ कि उस आदेश में यह कहा गया है कि जो लोग उस हड़ताल की अवधि में हड़ताल पर नहीं थे उन्हें दूना वेतन दिया जायगा। मैं इसको एल्योरमेंट मानता हूं, मैं इसको लोभ देना मानता हूं और मैं मानता हूं कि सरकार की यह नीति एंटी-लेबर है, मजदूर विरोधी नीति है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं।

फिर, कहा गया है कि जो लोग रिंग लीडर हैं या ओवर्ट एक्ट का इंफारमेशन जिनके खिलाफ है उनको छोड़ कर के बाकी लोगों को ज्वाइन करने दिया जायगा अगर वह ससपेंड हैं। अब यह रिंग लीडर शब्द और ओवर्ट एक्ट शब्द ऐसे वेग हैं कि इसका किसी भी तरह से इंटर-प्रिटेशन कर सकते हैं और इसका इंटरप्रिटेशन बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में, विभिन्न दफ्तरों में उनके विभिन्न अफसरों द्वारा विभिन्न ढंग से हो रहा है, किसी को रिंग लीडर कर दिया जाता है और किसी कार्यवाही को ओवर्ट एक्ट कह दिया जाता है और अभी भी सैकड़ों लोग नौकरी में वापस नहीं लिये गये हैं।

जहां तक मुकदमे की वापसी का सवाल है उस आदेश में कहा गया है कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के मुताबिक जिनके ऊपर मुकदमे चले है उन में अगर प्रापर अथारिटी ने कम्प्लेंट नहीं किया है, तो वैसे मुकदमे ड्राप कर दिये जायेंगे। इसका मतलब यह है कि या तो उस समय जो प्रापर अथारिटीज है उन्होंने कम्प्लेंट नहीं किया और बिल्कुल गलत ढंग में लोगों को मुकदमें में फंसाया गया नहीं तो सारी कम्प्लेंण्ट साधारणतः प्रापर अथारिटीज से ही हमेशा होती है और इसके अनुसार उन केसेज पर से मुकदमा वापस नहीं होगा।

इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय बिहार सरकार से उस आदेश को मंगा कर के देखें और देख करके ये जो क्लाजेज हैं जिनसे कि न चाहते हुये भी विक्टीमाइजेशन का संदेह है, डर है, उसको दूर करें, क्योंकि लोक सभा के सदन में 25 जुलाई को गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन का नतीजा इतना अच्छा निकला कि 25 तारीख को उन्होंने आश्वासन दिया और 25 तारीख को ही कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली, इतना रिसपांस आपकी अपील पर उन्होंने किया तो आपका प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि उस आश्वासन के अनुसार आप कर्मचारियों को विक्टीमाइजेशन से बचावें जो कि बिहार की नौकरशाही उनका विक्टीमाइजेशन कर रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री सूरज प्रसाद : श्रीमान्, मैं भी इस सम्बन्ध में दो एक मिनट बोलना चाहूंगा। धारा 3 की उपधारा (2) में जो प्राविज़ो लिखा हुआ है उसमें यह कहा गया है कि लोक सभा के और राज्य सभा के सदस्यों को मिला कर एक कमेटी बनाई जायेगी और इससे राष्ट्रपति कानून बनाने के सम्बन्ध में राय मश्विरा करेंगे। तो जहां तक मुझे जानकारी है ऐसी कमेटी जहां कहीं भी राष्ट्रपति का शासन लागू होता है बनाई जाती है लेकिन होना यह चाहिये कि जब इस तरह की कमेटी का गठन हो तो इस कमेटी की निश्चित बैठकें हों और इन बैठकों में उस प्रान्त के सम्बन्ध में जो आवश्यक सवाल हों उन सवालों पर विचार हों और जो कानून बनाने के मसले हों उन कानून बनाने के मसलों पर विचार हो कर उनको कानून का रूप दिया जाय लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर बिहार के बारे में

[श्री सूरज प्रसाद]

भी यह जो प्राविज़न है इस प्राविज़न को इसी तरह से लागू किया गया तो फिर इस पीस आफ लेजिस्लेशन का कोई अर्थ नहीं होगा । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि अभी बिहार की जनता के सामने कुछ अहम सवाल हैं, कुछ अहम मसले हैं और कुछ वायदे पूरे करने हैं, कुछ वायदे गत-हुकूमत ने जनता के साथ किये हैं और उन वायदों को अगर कानूनी रूप नहीं दिया गया तो जाहिर है कि इस तरह के लेजिस्लेशन से कोई फायदा नहीं होगा । इसलिये मैं पुनः इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि आदिवासियों के सम्बन्ध में जो लेजिस्लेशन वहां बन कर पड़ा हुआ है, बटाईदारी के सम्बन्ध में जो लेजिस्लेशन वहां पड़ा हुआ है, टाटा की ज़मींदारी उठाने के सम्बन्ध में जो लेजिस्लेशन वहां पड़ा हुआ है या लगान उठाने के सम्बन्ध में जो लेजिस्लेशन वहां पड़ा हुआ है उन तमाम चीजों पर उन तमाम लेजिस्लेशंस पर इस कमेटी की बैठक होनी चाहिये और इन लेजिस्लेशंस के सम्बन्ध में विचार-विमर्श होना चाहिये और ये लेजिस्लेशंस जल्दी से जल्दी आना चाहिये ताकि बिहार की जनता की जो आकांक्षा है, बिहार की जनता की जो उम्मीदें हैं उसकी पूर्ति की जा सके । एक बात ।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जब पहले जो हुकूमत थी वह गई थी तब उस हुकूमत ने यह वायदा किया था कि इस सितम्बर महीने से बिहार के अन्दर जो मज़दूर हैं जो कि दूसरे की ज़मीनों में बसे हुये हैं, जिन पर उनको कोई अधिकार नहीं है, उन ज़मीनों की पैमाइश करायेंगे और उनको उस ज़मीन के बारे में हक दे देंगे, बासगित ज़मीनों के सम्बन्ध में इस तरह का आदेश उस हुकूमत ने दिया था । इस तरह की ज़मीनों का प्राब्लम दूसरे राज्यों में नहीं है और उस बात को बहुत से लोग नहीं जानते हैं लेकिन बिहार में यह प्रश्न इतना गम्भीर है कि 25 या 30 प्रतिशत मज़दूर उन पर बसते हैं, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और वह दूसरे की ज़मीनों पर बसे हैं और उसके लिये काफी लगान उन्हें देना पड़ता है, एक एक कट्टे के लिये कभी कभी 20 या 30 या 40 रू० देने पड़ते हैं और उस हुकूमत ने वायदा किया था कि उस ज़मीन पर उसे पर्चा दे देंगे, राइट दे देंगे, उस ज़मीन के बारे में हक दे देंगे । अब यह राष्ट्रपति का शासन है, गवर्नर का वहां शासन है । लेकिन इस संबंध में वहां कोई कदम नहीं उठ रहा है । इसलिय मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा की जो खेतिहर हैं, जो गरीब हैं, जो दूसरों की ज़मीनों में बसते हैं, जिनको तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, दुर्दशा सहनी पड़ती है, जिनको तरह तरह के दंड दिये जाते हैं देहाती स्तर पर, उनके लिये मैं कहना चाहूंगा कि यह जो अहम मसला है उसके संबंध में केन्द्रीय हुकूमत की तरफ से बिहार सरकार को हिदायत देनी चाहिये कि जो बासगित का सवाल है उसको टेकअप करें । उसके लियें बाजाब्ता कानून बना हुआ था, टेनेन्सी ऐक्ट 1948 में बना था, लेकिन दुख की बात है बीस वर्ष हो चुके अभी तक वह कानून अमल में नहीं आया है । वह कानून अच्छा है लेकिन अमल में नहीं आया । इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो वासगित का प्रश्न है, मजदूरों का और ग़रीबों का प्रश्न है जो कि उनकी जिंदगी से संबंधित हैं उसके संबंध में केन्द्रीय सरकार की तरफ से आदेश जाना चाहिये कि इस तरह से कानून का पालन हो ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इस बात को साफ करने का प्रयत्न किया था कि यद्यपि यह कमेटी केवल कानूनी मामलों में सहायता देने के लिये बनायी जा रही है पर हम लोगों ने इसकी एक नयी परम्परा शुरू की है कि जो ऐसे विभिन्न प्रश्न हैं जो जनता की भलाई से या दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंध रखते हैं उन पर भी विचार किया जा सकता है । मैं माननीय सदस्य से कहूंगा, अगर वह इस कमेटी के मेम्बर बनें, और वह नहीं तो दूसरे सदस्य मेम्बर बनें, तो वे उन विभिन्न प्रश्नों को समिति में उठाएं । वहां पर विस्तारपूर्वक,

खुले दिल से विचार किया जा सकता है और इसके बारे में सोचा जा सकता है ।

अभी तो माननीय सदन द्वारा यह विधेयक पारित होगा, उसके बाद लोक सभा में जायेगा, वहां से पास होने के बाद समिति बनेगी, उसके बाद वह सब सोचा जा सकता है लेकिन जैसा मैंने कहा अगर कोई भी आवश्यकता हो कमेटी बैठाने की तो उसको बुलाने में हम कोई देर नहीं करेंगे ।

जहां तक दूसरा सवाल माननीय सदस्य सूरज प्रकाश जी ने उठाया, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई दूरगामी कदम हम इस संबंध में नहीं उठाते हैं जिससे आने वाली सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा इसके अलावा जो भी सुधार के और बाकी काम हो सकते हैं उन पर चाहे कि अच्छा काम हो । सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में पहले कह चुका हूं और माननीय रेवतीकान्त सिंह ने जो प्रश्न उठाए हैं उन पर भी हम ध्यान देंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ftf. P. BHARGAVA) : The question is : "That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE INDIAN REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 1968

THE MINISTER OF LAW (SHRI P. .GOVINDA MENON): Mr. Vice-Chairman, I move:

> "That the Bill further to amend the Indian Registration Act, 1908, be taken into consideration."

This is a simple amendment. Under section 30(2) of the Indian Registration Act, the District Registrars of Bombay, Calcutta and Madras have got the powers to register documents with respect to immovable property situate in any part of India. As soon as registration is effected, section 67 provides that the documents should be transmitted to the office of the Sub-Registrar in Whose jurisdiction the property is situate. This sort of a process of derivative registration, exists only with respect to the District Registrars of these three Presidency towns. It has been felt that equally with these three Presidency towns, if not more than them, Delhi has become so important commercially, industrially and from all points of view that it would be desirable to invest this power with the District Registrar of Delhi also. You are aware that people from all parts of India, from all the States of India will be in Delhi for official and other purposes. They may Ii Ke to enter into transactions with respect to properties in their own area and it would be desirable that this facility is given to them by vesting this power in the District Registrar of Delhi. That is the only, main object of this amendment.

I have also taken the opportunity to get the word "Indian" deleted from the title of the Act. It is because legislative practice of Parliament alter independence is not to use the word "Indian" with respect to Acts passed by Parliament. For example, in 1963 we passed the Limitation Act. Previously it was known as the Indian Limitation Act. Now, the Act of 1963 is known as the Limitation Act. The reason is this. During the days of British authority in India, the British Parliament also had the power to legislate with respect to India and in order to distinguish legislations of Indian Parliament from the very few British legislations, which were in force in India, we used to call our Acts, Indian Acts, e.g., the Indian Registration Act, the Indian Companies Act, the Indian Income-tax Act, etc. After independence we have changed this practice: Therefore, whenever an opportunity arises, the Ministry of Law is getting this word "Indian" deleted, so that we conform to legislative practice.

Sir, I hope that this simple piece of legislation will have the unanimous support of all the Members of this House.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : There is an amend-